न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 08 / 2022
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 02.02.2022

निर्णय दिनांक : 13.05.2025

उनवान

1. रहमतनाथ पिता वक्तावरनाथ जाति नाथ निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

......................**प्रार्थी**

बनाम

1. राजू पिता जालू तैली निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. जेतानाथ पिता किशननाथ जाति नाथ निवासी कमेरी तहसील देवगढ जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

......................**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित
अधिवक्ता शराफत हुसैन फौजदार
अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास
विपक्षी संख्या 01,02 की ओर से :– अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या 297 के आराजी नं. 1549 रकबा 0.0800 भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार कृषक होकर प्रार्थी को ही स्वत्व अधिकार प्राप्त है। आराजी नं. 1549 प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 01–05–2012 को तत्कालीन खातेदार विपक्षी संख्या 02 से क्रय की थी, और तभी वे प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षीगण प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि व खातेदारी की भूमि आराजी नं. 1549 पर अनाधिकारपूर्वक अतिक्रमण करने को आमादा है व प्रार्थी के उपयोग उपभोग में आये दिन रूकावट बाधा उत्पन्न करते है। विपक्षीगण ने कुछ लोगो को ओर अपने साथ मिला कर प्रार्थी को आ. नं. 1549 से बेदखल करने व उस पर अतिक्रमण करने के आशय से पुलिस चौकी सरदारगढ पर झूठी शिकायत करने एवं अनाधिकारपूर्वक पुलिस वालो से प्रार्थी को डराने धमकाने का प्रयास कर इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं कि प्रार्थी मजबूर व परेशान होकर आराजी नं. 1549 की भूमि

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

विपक्षीगण को सोप देवे। आराजी नं. 1549 किस्म बाडा प्रार्थी के स्वत्व अधिकार व मालिकाना हक का है व उसकी किमत बढ़ जाने से विपक्षी संख्या एक व दो के मन में दुर्भावना उत्पन्न हो गई है व विपक्षीगण हर प्रकार से अनैतिक गतिविधियां कर के आराजी नं. 1549 को लेने/छीनने को आमादा है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को मजबूर होकर विपक्षी संख्या एक व दो के विरूद्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। विपक्षीगण ने आज से0 5 दिन पूर्व भी प्रार्थी से काफी लडाई झगडा किया व झूठी शिकायत के आधार पर प्रार्थी को पुलिस चौकी बुलाया गया व पुलिस वाले प्रार्थी के द्वारा आराजी नं. 1549 का कब्जा छोडने से इन्कार करने पर न्यायालय द्वारा पाबन्द कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। जो प्रार्थी के विधिक अधिकारो के विपरित है, न तो पुलिस, और न ही विपक्षीगण प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारो से वंचित कर सकते है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधारो पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ होकर सुविधा का संतलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, यदि विपक्षीगण को तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय सारवान क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ में कदपि सम्भव नहीं होगी, विपक्षी संख्या एक व दो ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि पर अवैध कब्जा कर लेगा, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में रूकावट बाधा उत्पन्न कर देगा, जिससे प्रार्थी अपने विधिक हक अधिकारो से वंचित हो जावेगा। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या एक व दो के विरूद्व ताफेसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण स्वयं अथा उसके परिवारजन, नौकर, चाकर एजेन्ट आदि प्रार्थी की आराजी नं. 1549 पर किसी प्रकार की मजाखलद बेजा हरकत नहीं करे, प्रार्थी के उपयोग उपभोग किसी प्रकार की रूकावट बाधा उत्पन्न नही करे, न किसी अन्य से करावे। दौराने सुनवाई वाद यदि विपक्षी संख्या एक व दो उक्त आराजी नं. 1549 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर लेवे तो उसे विपक्षीगण के खर्चे से हटवाया जाकर पूर्ववत स्थिती कायम करवाई जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 26.07.2024 को विपक्षी संख्या 01,02 की तरफ से अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार द्वारा जवाब पेश नही करने जवाब बन्द करते हुये उक्त विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम मुरडा पटवार हल्का मुरडा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या 297 के आराजी नं. 1549 रकबा 0.0800 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रकरण संख्या 14/2022 रे.

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

नोटः— तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे—रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **13.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)